झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा
द्वादश (बजट)– सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 09 माघ, 1939 [ई0] को 29 जनवरी, 2018 [ई0] झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
71–	अ0सू0– 14	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	वेतन भत्तों का भुगतान।	योजना सह– वित्त	15.01.2018
72–	अ0सू0– 01	श्री आलमगीर आलम	साईबर थाना की स्थापना	गृह, कारा	08.01.2018
73–	अ0सू0– 13	श्रीमती गीता कोड़ा	अनुसूचित जाति में शामिल करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.01.2018
74–	अ0सू0– 12	श्री बिरंची नारायण	लॉकर की सुरक्षा।	गृह कारा	13.01.2018
75–	अ0सू0– 07	श्री राज सिन्हा	शीघ्र नियुक्ति करना	गृह कारा	09.01.2018
76–	अ0सू0– 16	श्री प्रदीप यादव	फिजूल खर्ची रोकना।	मंत्रिमंडल निग0	15.01.2018
77–	अ0सू0– 17	श्री प्रदीप यादव	समान वेतन देना।	मंत्रिमंडल निग0	15.01.2018
78–	अ0सू0– 04	श्री योगेश्वर महतो	आरक्षण सुविधा देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	08.01.2018
79–	अ0सू0– 27	डॉ0 जीतू चरण राम	आयोग का गठन।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19.01.2018

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.	05.	06
80-	अ0सू0- 09	श्री सुखदेव भगत	अपराध पर रोक	गृह, कारा	13.01.2018
81-	अ0सू0- 24	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	अधिनियम के दायरे में लाना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19.01.2018
82-	अ0सू0- 21	श्री अमित कुमार	आरक्षण का लाभ देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	16.01.2018
83-	अ0सू0- 22	श्री दशरथ गागराई	सौ प्रतिशत आरक्षण देना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19.01.2018
84-	अ0सू0- 08	श्री सुखदेव भगत	राशि खर्च करना।	योजना सह- वित्त	13.01.2018
85-	अ0सू0- 02	श्री आलमगीर आलम	केन्द्र सरकार को अनुशंसा भेजना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	08.01.2018
86-	अ0सू0- 03	श्री राधाकृष्ण किशोर	रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	08.01.2018
87-	अ0सू0- 05	श्री अरूप चटर्जी	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई	मंत्रिमंडल निग0	09.01.2018
88-	अ0सू0- 29	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	रोजगार मुहैया कराना।	योजना सह वित्त	20.01.2018
89-	अ0सू0- 23	श्री नागेन्द्र महतो	अहर्ता उत्तीर्णांक में सुधार	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19.01.2018
90-	अ0सू0- 15	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	सेवानिवृति का आयु निर्धारण।	कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	15.01.2018

रॉंची,
दिनांक- 29 जनवरी, 2018

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञापांक- झा0वि0स0 (प्रश्न)- 03/2015-1116 /वि0स0, रांची, दिनांक- 27/01/18

प्रति:- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ मा0 नेता प्रतिपक्ष/ अन्य मा0 मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/18
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-03/2015-1116 /वि0स0, रांची, दिनांक- 27/01/18

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / प्रभारी सचिव एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के उप सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27/01/18.
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

सुभाष

27/1/18

वेतन भत्तों का भुगतान ।

अल्प सूचित

71. प्रो० स्टीफन मरांडी--क्या मंत्री, योजना-सह-वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के पत्रांक-2/5/2017 E.II(B), दिनांक 7 जुलाई, 2017 द्वारा आवास भत्ता सहित अन्य भत्ता (परिवहन एवं चिकित्सा) का लाभ दिनांक 1 जुलाई, 2017 से दिया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र के तर्ज पर राज्य सरकार के सभी कर्मियों को सप्तम् वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है । परन्तु अन्य भत्ते (आवास, परिवहन एवं चिकित्सा) के लाभ की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार के अनुरूप पड़ोसी राज्य बिहार एवं अन्य राज्यों में भी आवास एवं अन्य भत्ता का लाभ दिया जा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार के तर्ज पर 1 जुलाई, 2017 से ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवास भत्ता एवं अन्य भत्ता राज्य कर्मियों को देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) राज्य कर्मियों को संशोधित दर पर भत्ते अनुमान्य करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है । इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा ।

72

श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले अ०सू०–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में बढ़ते साईबर क्राईम पर रोक लगाने के लिए विशेष साईबर थाना की स्थापना की जा रही है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में अबतक विशेष साईबर थाना की स्थापना नहीं की गयी है, जबकि साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में साईबर क्राईम की घटना अधिक हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। साहेबगंज में साईबर अपराध की घटनाओं में वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 एवं 2017 में कमी आयी है, जबकि पाकुड़ जिला में साईबर अपराध की घटनाओं में वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 एवं 2017 में वृद्धि हुई।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला सहित राज्य के सभी जिलों में विशेष साइबर थाना की स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में राज्य में साईबर थाना राँची के पुनर्गठन के साथ ही 06 जिलों यथा जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम एवं पलामू में एक–एक साईबर थाना का सृजन किया गया है। समप्रति शेष जिलों में साईबर थाना के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–01 / 2018–580 / राँची, दिनांक–27 / 01 / 2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–50, दिनांक–08.01.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूचित जाति मे शामिल करना ।

उत्तर मुद्रित

73. श्रीमती गीता कोड़ा—क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य मे पान एवं तांती जाति को अलग-अलग संवर्ग मे आरक्षण दिया जा रहा है ।

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 मे वर्णित जाति की संवर्ग एक ही है जबकि पान को अनुसूचित जाति तथा तांती को अति पिछड़ा वर्ग के संवर्ग मे रखी गई है, जो सर्वथा अनुचित है;

(3) उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तांती जाति को भी अनुसूचित जाति संवर्ग मे शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?

प्रभारी मंत्री— (1) स्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) तांती (ततवा) जाति को पान, स्वांसी को पर्याय के रूप मे अनुसूचित जाति की सूची मे शामिल करने सम्बन्धी झारखण्ड सरकार के प्रस्ताव को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रसंस्कृत कर निरस्त कर दिया गया है ।

विभागीय पत्रांक-10369, दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 द्वारा कोल्हान प्रमण्डल मे निवासरत तांती (ततवा) समुदाय को, वर्त्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य मे राज्य की अनुसूचित जाति के क्रमांक 19 पर पान, स्वांसी जाति के साथ अनुसूचित जाति की सूची मे समावेश करने के बिन्दु पर प्रतिवेदन की मांग डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से की गयी है ।

शोध संस्थान का प्रतिवेदन अब तक प्राप्त नही है । शोध संस्थान का प्रतिवेदन के आलोक मे ही तांती (ततवा) का अनुसूचित जाति मे शामिल करने के संबंध मे भारत सरकार से अनुशंसा करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मे शामिल करने के संबंध मे भारत सरकार ही सक्षम प्राधिकार है ।

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर प्रतिवेदन :– 74

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो के एसबीआई बैंक के एडीएम बिल्डिंग शाखा से 26 दिसम्बर, 2017 को अज्ञात लोगों ने 76 लॉकर तोड़कर ग्राहकों की करोड़ों की संपत्ति की चोरी कर ली है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो के एसबीआई बैंक के एडीएम बिल्डिंग शाखा के लॉकर रूम की दीवार के साथ अंडरग्राउंड री–इन्फोर्समेंट जैसे सुरक्षा इंतजाम भी नहीं थे, जिसे काटकर कोई अंदर नहीं घुस सकता था ,	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के कई बैंक शाखाओं, जहाँ लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है और न ही इनकी पहरेदारी हेतु 24 घंटे कोई सुरक्षा गार्ड ही रहता है ,	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी बैंकों के शाखाओं, जहाँ लॉकर अवस्थित है, वहाँ कड़े सुरक्षा मानक स्थापित करवा उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	राज्य अन्तर्गत विभिन्न जिलों में संचालित बैंक शाखाओं की सुरक्षा हेतु सरकार गंभीर है। राज्य में बैंकों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य स्तरीय बैंकिंग सुरक्षा समिति की बैठक समय–समय पर आयोजित की जाती है, जिसमें सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देश बैंक प्रशासन को दिए जाते है। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा भी बैंकों की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध रहते हुए कई दिशानिर्देश जारी किए गए है। अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–60/सी0पी0, दिनांक–17.02.2017 द्वारा राज्य के सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को बैंकों में सुरक्षा गार्ड प्रतिनियुक्त करने/सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने एवं सायरन (अलार्म) की व्यवस्था करने का दिशानिर्देश दिया गया। साथ ही बैंक शाखाओं में रखे तिजोरी (लॉकर) में टाईम लॉक की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। थाना स्तर से भी दिवा/संध्या/रात्रि गश्ती के माध्यम से बैंकों की सुरक्षा हेतु निगरानी रखी जाती है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–02/2018–475/ राँची, दिनांक–27/1/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–313, दिनांक–13.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.18
सरकार के संयुक्त सचिव।

75

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में थानों में सुपरविजन रिपोर्ट लिखे जाने के लिए टाइपिस्ट और रीडर की जरूरत होती है;	अस्वीकारात्मक। थानों में टाइपिस्ट और रीडर के पदस्थापन का कोई प्रावधान नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि टाइपिस्ट और रीडर के पदों के रिक्त के कारण ससमय सुपरविजन रिपोर्ट लिखे जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। सुपरविजन रिपोर्ट लिखने का कार्य थाने में परस्थापित आरक्षी (लेखक) द्वारा निष्पादित किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त पदों पर नियुक्ति प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–18/वि०स०–02/2018–575/ राँची, दिनांक–27/01/2018 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–125, दिनांक–09.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.18

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न सं.– अ.सू. 17 की सूचना का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन व्यवस्था लागू करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।	अस्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद झारखण्ड सरकार में कार्यरत अनुबंध कर्मियों, पारा शिक्षक, अनुबंध कम्प्यूटर ऑपरेटर, अनुबंध पारा मेडिकल स्टाफ को स्थायी कर्मियों के समतुल्य वेतन मिले, इस हेतु कोई विचार नहीं किया है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार त्वरित निर्णय लेकर अनुबंध कर्मियों को समान वेतन देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने का न्यायादेश पारित है। तदालोक में राज्य सरकार के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों का उनके धारित पद के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ दी जा रही है। नियमित नियुक्तियों के अतिरिक्त (Additionality) विशेष प्रयोजनों से कार्यों के सम्पादन के लिए तदर्थ व्यवस्था के तहत अनुबंध कर्मी/दैनिक कर्मी की नियुक्ति नियत वेतन पर की जाती है, जिसमें एकरूपता रखी जाती है। नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक एवं संविदा/अनुबंध कर्मियों का वेतन समान नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों की सेवाशर्तें एवं नियोजन की प्रक्रिया एकदम भिन्न है एवं कार्य तथा जिम्मेवारी का वहन अलग है। इसके अतिरिक्त योजना विशेष के घटक के रूप में केन्द्र सरकार भी विशेष प्रयोजनों का व्यय भार का वहन करती है। ऐसी स्थिति में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त में नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के समान संविदा/अनुबंध कर्मियों को वेतन देने में सैद्धान्तिक कठिनाई है चूंकि नियमित नियुक्ति सरकार द्वारा स्वीकृत निर्दिष्ट वेतनमान में की जाती है जबकि संविदा की नियुक्ति नियत मानदेय पर की जाती है। वेतन एवं मानदेय दोनों अलग प्रकृति के हैं।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–08/2018 18/वि.पि. रॉंची/दिनांक 28/01/2018

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची के ज्ञापांक 614/वि०स०, रॉंची, दिनांक 15.01.2018 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/2018
(अखिलेश कुमार वाजपेयी)
उप सचिव
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,

आरक्षण सुविधा देना ।

28. श्री योगेश्वर महतो--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एकीकृत बिहार मे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण था, जो आज भी बिहार मे लागू है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अलग राज्य बनने के बाद उक्त वर्ग का आरक्षण घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, जो न्यायोचित नही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एकीकृत बिहार की भाँति पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक ।

(2) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय मे दायर वाद संख्या- W.P.(P.I.L.) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य W.P.(P.I.L)-4706/2001 दिनेश भीरज शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य मे दिनांक 30 सितम्बर, 2002 को पारित आदेश के आलोक मे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत तक संसीमित रखने के लिए पिछड़े वर्गों को 14 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया । वर्तमान मे राज्य मे आरक्षण निम्न प्रकार अनुमत है:-

(क) अनुसूचित जाति - 10 प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजाति - 26 प्रतिशत

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग - 14 प्रतिशत (अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर)

(3) उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 से वस्तु स्थिति स्पष्ट है ।

श्री सुखदेव भगत, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाएँ वर्ष 2016 में 713 हुई है जबकि वर्ष 2015 में 406 घटनाएँ हुई है :	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाएँ वर्ष 2016 में 673 जबकि वर्ष 2015 में 565 घटनाएँ घटित हुई है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बच्चों के खिलाफ अपराध के बढ़ते ग्राफ को नियंत्रित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाओं की रोक–थाम हेतु राज्य में कुल–111 थानों को बालमित्र थाना के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही 41 महिला एवं बाल संरक्षण थाने अधिसूचित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष **Child Help Line, Child Friendly Policing** की शुरूआत की गई है। अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा लापता एवं ट्रैफिक्ड बच्चों की बरामदगी हेतु विशेष अभियान "ऑपरेशन मुस्कान" चलाया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–01/2018–572/ राँची, दिनांक–27/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–314, दिनांक–13.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

माननीय श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू कर दी गई है जिसके तहत वैसे गैर सरकारी संस्थानों तथा निजी विद्यालयों जिसे सरकार द्वारा विभिन्न मदों में ली जाने वाली करों जैसे– नगर निगम द्वारा ली जानेवाली कर, वाहन–कर एवं बिजली में छुट दी जाती है वैसे सभी उक्त संस्थानों एवं विद्यालयों को भी उक्त अधिनियम के दायरे में लाने का प्रावधान है;	झारखण्ड राज्य में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान प्रभावी हैं। उक्त अधिनियम की धारा–2(ज)(घ)(ii) के अनुसार "कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है", उनपर सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में उक्त वर्णित सभी संस्थानों एवं निजी विद्यालय अबतक खण्ड–01 में वर्णित अधिनियम के दायरे में नहीं होने के कारण आये दिन काफी मनमानी की जा रही है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	यथा कंडिका–1 में वर्णित।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित अधिनियम को उक्त वर्णित संस्थानों एवं विद्यालयों पर भी सख्ती से लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–06/2018 का0 750 /राँची दिनांक– 25 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–814, दिनांक–19.01.2018 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/18

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव।

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–22 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय पदों की नियुक्तियों में जिला के स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के गैर अनुसूचित जिलों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है जिसके कारण जिला स्तरीय पदों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका देकर स्थानीय निवासियों का हक मारा जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3	उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुसूचित जिलों की भाँति गैर अनुसूचित जिलों में भी जिला स्तरीय पदों पर 100 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय निवासियों को प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 की स्थिति में प्रश्न ही नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा०वि०स०–07–12 / 2018 का०– 459 / रांची, दिनांक 25.1.18

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०–प्र०–812 दि०स०, दिनांक–19.01.2018 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री सुखदेव भगत, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.02.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–08 का उत्तर ।

क्रम सं०	अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान केन्द्र सरकार के केन्द्रीय व केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कुल 4,012 करोड़ रुपये झारखण्ड सरकार को मिलना है परन्तु दिसम्बर माह तक मात्र 497 करोड़ रुपये ही राज्य सरकार ले पायी है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है ।
2.	क्या यह बात सही है कि प्राप्त 497 करोड़ रुपये की राशि में वित्तीय वर्ष के नौ महीनों में मात्र 134.7 करोड़ रुपये ही राज्य सरकार खर्च कर पायी है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार कार्य की क्षमता में वृद्धि करने एवं समय से कार्य पूरा कर राशि खर्च करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त पूर्ण राशि को ससमय खर्च करने हेतु प्रतिबद्ध है ।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10 / वि०स०(4)–03 / 2018 / 43/वि०(?) रॉंची, दिनांक : 25/1/2018

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची के ज्ञापांक–312 / वि०स०, दिनांक–13.01.2018 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25-01-18

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
योजना सह वित्त विभाग,
झारखण्ड, रॉंची ।

केन्द्र सरकार को अनुशंसा भेजना ।

उत्तर मुद्रित

85. श्री आलमगीर आलम--क्या मंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के केवट, मल्लाह, बिन्द, वनपर, गोढ़ी, तीयर चांय, कैवर्त, नुनिया, बेलदार, धीवर, मुड़ियारी व वामशूद्र जाति मूल वंश-निषाद शीर्ष के अन्तर्गत आते है एवं मछुआरा कहलाते है, जिन्हें राज्य मे अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के श्रेणी में रखा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड एक मे वर्णित सभी जातियाँ देश के कई राज्यों यथा-पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा में भारतीय संविधान (अनुसूचित जाति) ऑडर 1950 द्वारा अनुसूचित जाति की श्रेणी मे शामिल है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड एक मे वर्णित सभी जातियो (निषादो) को अनुसूचित जाति मे शामिल करने के लिए बिहार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की तरह केन्द्र सरकार को अनुंशसा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) अस्वीकारात्मक ।

(2) झारखण्ड राज्य के लिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (अद्यतन संशोधन सहित) की सूची मे प्रश्न के खण्ड-1 मे वर्णित जातियाँ सम्मिलित नहीं है ।

(3) संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 मे संशोधन की कार्रवाई केन्द्रीय सरकार के स्तर से ही संभव है ।

रिक्त पदों पर नियुक्ति-प्रोन्नति ।

अतारांकित

86. श्री राधाकृष्ण किशोर--क्या मंत्री, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव संयुक्त सचिव, तथा उप सचिव के कुल 2371 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 31 दिसम्बर, 2017 तक 1171 पद रिक्त थे;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि खण्ड-1 में वर्णित झारखण्ड सचिवालय सेवा के रिक्त पड़े 1171 पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत कुल 2375 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध कुल 1197 पद रिक्त है ।

(2) झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत सहायक के पद पर वर्ष-2013 एवं 2016 में सीधी भर्ती द्वारा तथा 2012 एवं 2015 में उच्च वर्गीय लिपिक कोटि से सहायक कोटि में प्रोन्नति द्वारा नियुक्तियाँ की गई है । इसके अतिरिक्त भर्ती वर्ष-2015, 2016 एवं 2017 के लिए क्रमशः विभागीय पत्रांक 10691, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 पत्रांक 9832, दिनांक 15 सितम्बर, 2017 एवं पत्रांक 447, दिनांक 16 जनवरी, 2018 द्वारा सहायक कोटि के कुल 313 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है ।

झारखण्ड सचिवालय सेवा के तहत प्रोन्नति हेतु चिन्हित संवर्गीय पदों यथा सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव कोटि में रिक्त पदों के विरूद्ध समय-समय पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त पदधारकों की प्रोन्नति की कार्रवाई की गई है । इस परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा WP(S) NO.-3792/2016 अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में प्रोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाये जाने संबंधी पारित न्यायादेश के आलोक में वर्तमान में प्रोन्नति की कार्रवाई स्थगित है ।

87

दिनांक 29.01.2018 को श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–05 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य स्थापना दिवस समारोह, 2016 में 4,96,37,925/– (चार करोड़ छियानबे लाख, सैंतिस हजार नौ सौ पच्चीस) मात्र के टी0शर्ट एवं चॉकलेट क्रय की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की 28.12.2016 की बैठक में प्रदान की गई;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। विदित हो कि दिनांक 28.12.2016 को मंत्रिपरिषद की बैठक में क्रमशः टी–शर्ट एवं चॉकलेट क्रय पर हुए व्यय हेतु रु0 4,65,00,000/– एवं रु0 33,61,125/– अर्थात कुल राशि रु0 4,98,61,125/– (चार करोड़ अन्ठानवे लाख एकसठ हजार एक सौ पच्चीस) मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्रय की प्रक्रिया में किसी प्रकार की निविदा नहीं की गई बल्कि मनोनयन के आधार पर कुडू फैब्रिक्स लुधियाना एवं लल्ला इंटरप्राईजेज, जमशेदपुर से 4,96,37,925/– (चार करोड़ छियानबे लाख, सैंतिस हजार, नौ सौ पच्चीस) मात्र का क्रय किया गया जिसकी आपत्ति महालेखाकार द्वारा भी की गई है;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। 1. विदित हो कि समारोह के आयोजन के अत्यल्प समय एवं तात्कालिकता के परिप्रेक्ष्य में कार्यों के निष्पादन हेतु उपयुक्त एवं सक्षम संस्था / एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के अधीन शिथिल करने के प्रस्ताव पर भी दिनांक 28.12.2016 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। 2. महालेखाकार द्वारा आपत्ति की सूचना अप्राप्त है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त खरीदारी में हुई अनियमितता की जाँच कराते हुए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि टी–शर्ट एवं चॉकलेट क्रय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। अतः इसकी जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(संसदीय कार्य)

ज्ञापांक – म0म0स0–05 / सं0कार्य0अ0सू0प्र0–05 / 2018 133 / रांची, दिनांक– 25 जनवरी, 2018 ई0।

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय / उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक–105, दिनांक 09.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/18

(भीम रविदास)

सरकार के अवर सचिव

89

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.01.2018 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के पत्रांक–11/क०च०आ०–2–6/2014 का०–7613, दिनांक–27.06.2017 में पु०अ० निरीक्षक के 1544 पद पर झा०पु० बल के अहर्त्ता प्राप्त उम्मीदवारों के चयन हेतु JSSC द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पु०अ०नि० के पद पर चयन हेतु सरकार की नियमावली में अहर्त्ता उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40 से 45 के विपरीत रा०क०च० आयोग ने उत्तीर्णांक नियम विरूद्ध बढ़ाकर 45 से 50 प्रतिशत कर दी जिसके कारण कुल रिक्त पदो के विरूद्ध केवल 663 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका ;	अस्वीकारात्मक। पुलिस अवर निरीक्षक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन दोनों पत्रों में न्यूनतम 45 % अंक तथा कुल 50 % अंक लाने का प्रावधान है। SC/ST के लिए न्यूनतम अहर्तांक में 5% की छूट का प्रावधान है। नियमावली में वर्णित प्रावधान के आलोक में ही राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। सम्प्रति इसमें संशोधन की आवश्यकता नही है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय की जांच कर क०च० आयोग द्वारा नियम विरूद्ध तय की गई अहर्त्ता उत्तीर्णांक को रद्द करने तथा नियमावली के तहत 40 से 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करनेवाले उम्मीदवारों की नियुक्ति/चयन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

झापांक–16/वि०स०–13/2018–577/ राँची, दिनांक–27/01/2018ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके झापांक–813, दिनांक–19.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स०वि०स० से प्राप्त दिनांक 29.01.2018 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं०– 15 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि बिहार उड़ीसा सेवा संहिता 1935 के नियमानुसार 33 वर्ष या 55 वर्ष एवं 60 वर्ष जो सबसे पहले कार्यावधि वर्ष पुरा होता है उसपर कर्मी सेवानिवृत्त का प्रावधान है?	झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 73 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प ज्ञापांक 5826 दिनांक 26.10.2004 के अनुसार वार्धक्य सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर होती है। इस संकल्प के निर्गत होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति के संबंध में बिहार, उड़ीसा सेवा संहिता 1935 में अंकित प्रावधान निष्प्रभावी हो गये हैं।
(2) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त आदेश को राज्य के सरकारी सेवा के कर्मचारियों पर लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10 / वि.स. (4)–09 / 2018.../10//वि०प्र०   राँची / दिनांक: 25/01/18

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 511 / वि०स०, राँची, दिनांक 15.01.2018 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अविनाश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची।